

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छैरत, अलीगढ़, पिन-202122, दूरभाष-0571-2900088)

पत्रांक 390 / 14-1 (ROAD/22374/2017) दिनांक: अलीगढ़: अगस्त: 24, 2023

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

एटा में अलीगढ़-कानपुर सैक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग सं०- 91 के किमी० 186.000 से किमी० 229.000 तक 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 65.495 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों कुल 5798 वृक्ष/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।
(Online Proposal Number- FP/UP/ROAD/22374/2017).

संदर्भ:-

आपका पत्रांक-3746/11-सी-एटा (NH-91)/22374 दिनांक 26.05.2023 तथा इस कार्यालय का पत्रांक-4482/14-1 (NH)/22374 दिनांक 05.06.2023 एवं प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा का पत्रांक-190/14-1, दिनांक 28.07.2023.

महोदय,

अवगत कराना है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में एटा में अलीगढ़-कानपुर सैक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग सं०- 91 के किमी० 186.000 से किमी० 229.000 तक 04 लेन चौड़ीकरण/सुदृढीकरण हेतु 65.495 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्षों व 858 पौधों कुल 5798 वृक्ष/पौधों के पातन की अनुमति से सम्बन्धित आपत्ति के निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-4482/14-1 (NH)/22374 दिनांक 05.06.2023 से आप द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्क्रम में प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा के सन्दर्भित पत्र से अनुपालन आख्या उपलब्ध करायी गयी है। आख्या निम्नवत् प्रेषित है:-

Sl.	Condition	Status of Complience
1	प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल कितने हे० है।	आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.3299 हे० है।
2	प्रभावित आरक्षित वन भूमि का स्थलीय निरीक्षण कराये कि पूर्व में प्रस्ताव में 65.495 हे० संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त आरक्षित वन भूमि कितनी प्रभावित हो रही है।	आरक्षित वन भूमि का स्थलीय निरीक्षण कराया जा चुका है। पूर्व में 65.495 हे० संरक्षित वन भूमि से अतिरिक्त 0.3299 हे० आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राकेश चन्द्रा)

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक 390 / दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग एटा को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में।

2- परियोजना निदेशक, भा०रा०प्राधिकरण, ग्राम-भीकमपुर रिलाइन्स पेट्रोल पम्प के सामने, जी०टी० रोड, अलीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक,

अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

mail# 31-07-2023

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांक: 190 /14-1,

दिनांक, एटा, जुलाई, 28, 2023.

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषय-एटा में अलीगढ़ कानपुर सैक्शन (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-91) किमी 0 186 से 229 तक 04 लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 65.495 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 4940 वृक्ष व 858 पौध 5798 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ-आपके कार्यालय का पत्रांक-4482/14-1 (एन०एच०/Road/22374/2016) दिनांक 05.06.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में चाही गयी सूचना परियोजना निदेशक, भा०रा०रा०मा०प्रा०, अलीगढ़ के पत्रांक-भा०रा०रा०प्रा०/प०क०इ०-अली०/15017/पी-1/2023 /डी-20073 दि० 13.06.2023 के अनुसार निम्न प्रकार प्रेषित है-

क्र० सं०	बिन्दु	आख्या
1	प्रस्ताव में आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल कितने हे० है।	आरक्षित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.3299 हे० है।
2	प्रभावित आरक्षित वन भूमि का स्थलीय निरीक्षण कराये कि पूर्व में प्रस्ताव में 65.495 हे० संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त आरक्षित वन भूमि कितनी प्रभावित हो रही है।	आरक्षित वन भूमि का स्थलीय निरीक्षण कराया जा चुका है। पूर्व में 65.495 हे० संरक्षित वन भूमि से अतिरिक्त 0.3299 हे० आरक्षित वन भूमि प्रभावित हो रही है।

नोट- 0.3299 हे० भूमि का एन०एच०ए०आई० के नाम नोटिफिकेशन हो गया है, तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा ने उप जिलाधिकारी, सदर, एटा को उक्त भूमि को पुनः वापस कराने के लिये पत्राचार किया गया है। प्रकरण पुराना है। अतः आख्या अपेक्षित कार्यवाही की प्रत्याशा में सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(सुन्दरेशा)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा। ०

पत्रांक- 190 /14-1, तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 उ०प्र०, लखनऊ।
- परियोजना निदेशक, भा०रा०रा०प्रा०, अलीगढ़।

(सुन्दरेशा)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा। ०

मा० रा० रा० प्रा०

31/7/23

50/190

क्र० 3

46-2